



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-यू.पी.-अ.-28072025-265011
CG-UP-E-28072025-265011

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3328]
No. 3328]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2025/श्रावण 3, 1947
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2025/SHRAVANA 3, 1947

j;y e=ky;

[mRrj e/; j;yo %bthfu;fjx foHkx%]

अधिसूचना

lk; xjkt, 24 जुलाई, 2025

का.आ. 3405(अ).—केन्द्र सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवम रेलवे (संशोधन) अधिनियम (2008 का 11) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के चित्रकूट जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् मानिकपुर-नैनी सेक्शन में समपार संख्या 411 ग्राम- भटगवां, तहसील- मऊ, पर आरयूबी. के निर्माण के बाबत ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन उपरोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अपर उप जिलाधिकारी कर्वी-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जा सकेगा और उसके आधार उपवर्णित किये जायेंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात, जिसे सक्षम प्राधिकारी जो आवश्यक समझे आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ (3) के अनुसार धारा 20घ की उपधारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले भूमि का रेखांकन और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी, अर्थात्, अपर उप जिलाधिकारी कर्वी-चित्रकूट, उत्तर प्रदेश के कार्यालय में उपलब्ध है और इच्छुक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

vulph

मानिकपुर – नैनी सेक्शन में समपार संख्या 411 ग्राम– भटगवां, तहसील– मऊ, पर आरयूबी के निर्माण के बाबत
vku okyh voljpuk lfg; k jfgr Hkeh dk lfkrlr fooj.kA

क्र. सं.	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा सं०	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
1	चित्रकूट	मऊ	भटगवां	31	0.060

[ई-फाईल नंबर: NCR फाईल नंबर NCR -HQ0ENGG (CORR)/11/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD (कंप्यूटर नंबर 115592)]

जे.सी.चौरसिया, प्रमुख मुख्य इंजीनियर

MINISTRY OF RAILWAYS

[North Central Railway (Engineering Department)]

NOTIFICATION

Prayagraj, the 24th July, 2025

S.O. 3405(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of clause 20A of section 2 of the Railways Act 1989 (24 of 1989) and Railways Amendment act 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule Annexed hereto is required for the purpose of execution of special Railway Project namely, Elimination of manned level crossing no. 411 by providing RUB in Manikpur-Naini Section, District Chitrakoot, Vill- Bhatgawn, Tahsil- Mau, In the state of Uttar Pradesh, here by declares its intention to acquire such land ;

Any person interested in the said land may within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, Additional Sub-Divisional Magistrate, Karwi-Chitrakoot (Uttar Pradesh) in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing such objections and after making such further enquiry if any as the competent Authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by competent Authority under Clause 20D (3) sub-section (2) of section 20 D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the special Railway Project namely Elimination of manned level crossing no. 411 by providing RUB in Manikpur-Naini section District , Vill- Bhatgawn, Tahsil- Mau in the state of Uttar Pradesh.

SCHEDULE

S. No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No	Acquired Area (In Hectare)
1	Chitrakoot	Mau	Bhatgwan	31	0.060

(F. No. e-file No. NCR File No. NCR -HQ0ENGG (CORR)/11/2024-O/o Dy.CE/Br./L/ALD (Computer No. 115592)

J.C. CHAURASIA, Principal Chief Engineer